## मध्यप्रदेश शासन
## सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश
फोन- 0755-2708493 ईमेल- pssocialjustice@mp.gov.in

क्रमांक एफ 3-39/2017/26-2 भोपाल, दिनांक 02/05/2022

प्रति,

**समस्त कलेक्टर,**
मध्यप्रदेश।

विषय :- मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के क्रियान्वयन हेतु म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत छूट प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3-39/2017/26-2 भोपाल, दिनांक 22/04/2022

----

विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना के नवीन स्वरूप के दिशा-निर्देश संदर्भित पत्र द्वारा जारी किये गये हैं, जिसमें वधू को दी जाने वाली सामग्री का क्रय किये जाने हेतु दरों एवं विक्रेताओं का निर्धारण जिला स्तर पर मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम के अनुसार किया जाना है।

2/ इस संदर्भ में कुछ जिलों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि निर्धारित तिथियां नजदीक होने की वजह से जिलों द्वारा सामग्री की दर एवं फर्मों के निर्धारण हेतु भण्डार क्रय नियम के प्रावधानों का पालन करने में कठिनाई हो रही है। अत: मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 की कण्डिका 11.2.6 में निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु न्यूनतम अवधि को कम करने एवं कण्डिका 11.2.1 के अंतर्गत प्रावधानित ई-टेण्डर प्रणाली के अतिरिक्त ऑफलाईन टेण्डर बुलाये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

3/ उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विवाह कार्यक्रमों में वधू को प्रदाय की जाने वाली सामग्री क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 की कण्डिका 11.2.1 एवं कण्डिका 11.2.6 के प्रावधानों को शिथिल कर निम्न शर्तों के आधार पर ऑफलाईन टेण्डर बुलाकर सामग्री क्रय करने की छूट प्रदान की जाती है-

I. ऑफलाईन टेण्डर का प्रकाशन दो राज्य स्तर के समाचार पत्रों में करना अनिवार्य होगा।

II. टेण्डर की न्यूनतम अवधि 7 दिवस होगी।

4/ कण्डिका 3 में प्रदान की गई छूट केवल 31 जुलाई 2022 तक योजनांतर्गत आयोजन होने वाले सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रमों हेतु मान्य होगी। 1 अगस्त 2022 के उपरांत आयोजन विवाह/निकाह कार्यक्रमों के लिए मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम का पालन कर ही सामग्री की दर एवं फर्मों का निर्धारण किया जा सकेगा।

(प्रतीक हजेला)
प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/ एफ 3-39/2017/26-2 भोपाल दिनांक 02/05/2022

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।
4. महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
5. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
6. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।
9. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, भोपाल।
10. सचिव, म.प्र. शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, भोपाल।
11. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
12. समस्त आयुक्त नगर निगम, मध्यप्रदेश।
13. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
14. समस्त संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश।
15. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद, मध्यप्रदेश।
16. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
17. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण विभाग